न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–02, मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी –मोहितास सिंह पंवार(आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	340/2023
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	841/2023
सी०एन०आर० नंबर	**RJUD130016622023**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	101/2019, पुलिस थाना– फतहनगर
अपराध अंतर्गत धारा	452, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	उदेलाल
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. गणेशलाल पिता किशनलाल, 2. रवि पिता गणेशलाल, निवासीयान भोपाडिया जैवाणा, थाना फतहनगर, जिला उदयपुर।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री भैरूलाल जाट एनरोलमेंट नं. आर/978/2006
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी

B

अपराध की दिनांक	15.07.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	16.07.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	05.08.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	04.12.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	02.12.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–––––
निर्णय दिनांक	03.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	–––––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

1	गणेशलाल	22.07.19	22.07.19	452, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता	**दोषमुक्त**	---	22.07.19 से 22.07.19
2	रवि	23.07.19	23.07.19	452, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता	**दोषमुक्त**	---	23.07.19 से 23.07.19

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	उदयलाल	एफआईआर की ताईद कर स्वयं के चोटे आने की ताईद
पी.डब्ल्यू 2	देउबाई	चश्मदीद शआदत
पी.डब्ल्यू 3	गिरधारीलाल	फर्द घटनास्थल निरीक्षण की ताईद
पी.डब्ल्यू 4	कालूराम	फर्द घटनास्थल निरीक्षण की ताईद
पी.डब्ल्यू 5	सोहनलाल	वाकियाती शआदत
पी.डब्ल्यू 6	डॉ. नरेन्द्र भाटी	चोट प्रतिवेदन की ताईद
पी.डब्ल्यू 7	रामी बाई	वाकियाती शआदत

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी. 01	घटना की रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी. 02	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी. 03	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी. 04	चोट प्रतिवेदन उदयलाल
05	प्रदर्श पी. 05	पुलिस बयान उदयलाल
06	प्रदर्श पी. 06	पुलिस बयान देउबाई
07	प्रदर्श पी. 07	पुलिस बयान रामी बाई

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नंबर**	**विवरण**
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

– निर्णय –

01. पुलिस थाना फतहनगर की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण गणेशलाल, रवि के विरूद्ध धारा 452, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 05.08.2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली में प्रस्तुत होने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया, जहां से प्रकरण विधिवत रूप से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर के आदेश क्रमांक 300 दिनांक 07.08.2023 से अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमित दांडिक पंजीबद्ध किया गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ''दिनांक 16.07.19 को प्रार्थी उदेलाल पिता देवा ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की वह प्रार्थी गांव जैवाण (भोपाडिया) का रहने वाला है। दिनांक 15.07.19 को वह मोहल्ले में उसके काका का मोसर था। शाम को आठ बजे वह सामाजिक काम में भाग लेकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में चक्कर आने से वह गणेशलाल ढोली के ढोल के पास गिर गया था तो उसे लोगों ने उठाया तो गणेशलाल ने कहा कि उसके पास कैसे गिर गया उसने माफी मांग कर अपने घर चला गया और घर पर सो गया रात की 11.30 बजे गणेशलाल पिता किशनलाल ढोली व उसका लडका रबी हाथ में लठ लेकर उसके घर के अन्दर घुस आये और उसके साथ लठ से मारपीट करने लगे उसकी पत्नी देवली छुड़ाने आई तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके साथ मारपीट करते रहे और घसीट कर घर से बाहर लाये और उसके कमर व जांघों पर कफी लठ की मारपीट की जिसे उसके काफी चोटे आई प्रार्थी ने हल्ला किया तो उसकी बडी मम्मी रामी बाई घर से बाहर निकल कर आई और आते ही हल्ला किया तो ये लोग उसे छोड़ कर मोटरसाईकिल लेकर भाग गये। अतः श्रीमान से रिपोर्ट करता है कि कार्यवाही कर उसे न्याय प्रदान कराया जावे।''.....आदि।

––उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **452, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत अपराध कारित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध होने से

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा **452, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उक्त सारणी में वर्णितानुसार गवाहान के बयान करवाये गये व सारणी में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा **313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उनके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

06. बहस अंतिम सुनी गई। अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में जो मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य आई है उससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है। जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

क– आया अभियुक्तगण ने दिनांक 16.07.2019 को रात करीब 11.30 बजे गांव जैवाणा में सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी उदेलाल के आधिपत्यशुदा मकान में हमला करने की तैयारी के पश्चात अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कर परिवादी उदेलाल के साथ में स्वेच्छया कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की ?

ख– यदि हां तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी?

08. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 07 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन करें तो प्रकरण में आहत उदयलाल को अभियोजन पक्ष के द्वारा पीड 01 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। दौराने साक्ष्य आहत उदयलाल पक्षद्रोही रहा है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्त गणेश व रवि के द्वारा उसके साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात को गलत होना बताते हुये अभियोजन कहानी का लैशमात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पीड 02 देउबाई, जो कि आहत उदयलाल की पत्नी है, की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह भी दौराने साक्ष्य पक्षद्रोही रही है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में किसने मारपीट की उसे जानकारी नहीं होना बताते हुये अभियोजन कहानी का किसी तरह से कोई समर्थन नहीं किया है। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद गवाह पीड 05 सोहनलाल की साक्ष्य का अवलोकन करें तो यद्यपि

गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गणेशलाल व उसके बेटे रवी के द्वारा उदयलाल के साथ ढोल बजाने को लेकर मारपीट की जाना बताया है, लेकिन इस संबंध में गवाह की जिरह का अवलोकन करें तो गवाह ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से खंडनस्वरूप अभियुक्तगण के द्वारा हथियारों के साथ घर में घुसकर मारपीट की हो, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होना बताया है। इस प्रकार चश्मदीद गवाह पीड 05 सोहनलाल ने अपनी साक्ष्य में खंडनकारी कथन करते हुये अभियोजन कहानी का किसी तरह से कोई समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना की अन्य चश्मदीद गवाह पीड 07 रामी बाई की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह दौराने साक्ष्य पक्षद्रोही रही है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में किसने किसके साथ मारपीट की उसे पता नहीं होना बताते हुये अभियोजन कहानी का किसी तरह से कोई समर्थन नहीं किया है। जहां तक गवाह पीड 03 गिरधारीलाल, पीड 04 कालुराम, जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 के गवाह है व गवाह पीड 06 डॉ. नरेन्द्र भाटी, जिसने की आहत का चोट प्रतिवेदन तैयार किया जाना बताया है, की साक्ष्य का विवेचन का प्रश्न है, के संबंध में न्यायालय का मत है कि पूर्वोक्त विवेचन के आलोक में उक्त गवाहों की साक्ष्य प्रकरण में औपचारिक प्रकृति मात्र रह जाती है, जिस पर विस्तृत विवेचन किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित आहतगण व घटना के चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य के उक्त विवेचन से अभियुक्तगण के द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है, जिस कारण अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

–आदेश–

09. लिहाजा **अभियुक्तगण 1.गणेशलाल पिता किशनलाल, 2.रवि पिता गणेशलाल, निवासीयान भोपाडिया जैवाणा, थाना फतहनगर, जिला उदयपुर** को आरोपित अपराध धारा–452, 323 **भारतीय दण्ड संहिता** के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की और से पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत 5,000/– रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करें।

(मोहितास सिंह पंवार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–02, मावली, जिला उदयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 03.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(मोहितास सिंह पंवार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–02, मावली, जिला उदयपुर